कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फोरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून। संख्या 575 / 1जी-FP/UK/ROAD/10168/2015 देहरादूनः दिनांकः 19 अगस्त, 2015

सेवा में,

अपर सचिव, वन उत्तराखण्ड शासन

विषय:-जनपद पौड़ी में संग्लाकोटी भेड़गाँव गुडिण्डा मोटर मार्ग से तिलखोली जजेडी मोटर मार्ग निर्माण हेतु — 1.796 है0 वन भूमि हस्तांतरण FP/UK/ROAD/10168/2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है जिसकी हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्रवाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। प्रस्ताव में प्रति है0 50 से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण सहमति की दशा में प्रस्ताव पर सैद्वांतिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(Hara Tanna)

(एस०टी०एस०लेप्चा) अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

संख्या :

/ 1जी-FP/UK/ROAD/10168/2015 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः

- 1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
- 2. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
- 3. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।
- 4. अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग / पी०एम०जी०एस०वाई, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून 🖊
- 5. जिलाधिकारी, पौड़ी।
- 6. प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग।
- 7. अधिशासी अभियंता, नि०ख0, लो०नि०वि०, पौड़ी।

(एस०टी०एस०लेप्चा) अपर प्रमुखा वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

भाग IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का नामः

जनपद पौड़ी में संग्लाकोटी भेड़गाँव गुडिण्डा मोटर मार्ग से तिलखोली जजेडी मोटर मार्ग निर्माण हेतु — 1.796 हैं 0 वन भूमि हस्तांतरण FP/UK/ROAD/10168/2015

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु गढ़वाल वन प्रभाग में देवगड़ी कक्ष सं० 2 में 1.138 है० आरक्षित वन भूमि, 0.161 है० पंचायती वन भूमि तथा 0.497 है० सिविल वन भूमि कुल 1.796 है० वन भूमि का हस्तांतरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु उपरोक्त वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग तथा वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की है। अतः जनहित में, प्रस्ताव में प्रति है० 50 से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण प्रस्ताव पर सैद्वांतिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः

नाम व पदनामः

(एस०टी०एस०ले प्चा भा.व.से)

अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण

एवं

अपर प्रेमुख वेम सरक्षक एक जोडल प्राधिकारी

सरकारी मोहरः

तिथि :

19/08/2015

स्थानः देहराद्न

प्रपत्र-2.2

PART-III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना)

Proposal No.FP/UK/Road/10168/2015

जनपद पौड़ी में संगलोकोटी—भैंडगांव—गुण्डिडा मोटर मार्ग तिलखोली—जजेड़ी तक विस्तार कार्य हेतु वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव। परियोजना का नाम-

1. स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। 2. क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग—ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है? 3. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।			
यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। 2. क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग—ख में दी गई सूचना अभैर उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है? विभिन्न समायत हा रहे हैं। विभिन्न समायत हा रहे हैं।	1.		नहां ।
2. क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग—ख में दी गई सूचना अभैर उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है? विभिन्न समावित के लिल 147 हिस समावित के लिल 147		सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हॉं / नहीं)	
2. क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग—ख में दी गई सूचना अभैर उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है? विभिन्न मजाति के केल 147 हिंदी मिला से केल हैं।		यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को	
और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है?		निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	
और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है?			
और उप वन सरक्षक के सुझावों से सहमत हैं? विभिन्न यजारत के केल 147 विकास यजारत के केल 147	2.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग—ख में दी गई सूचना	सहसता प्राथमा है।
		और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है?	विभिन्न समाति के कुल 147
3. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।			वृक्षाः समायत हा रहे हैं।
3. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।			,
संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	3.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन	A 2: 5 A
Sticit 2		संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	याना हता न सर्वात की
			511011 2
	1		

दिनांक 31-7-2015

परियोजना का नाम:- संगलाकोटीं-भैंडगांव-गुण्डिडा मोटर मार्ग का तिलखोली-जजेड़ी तक विस्तार।

<u>कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत अधकार से दन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अर्ज्यत स्वीकृति प्राप्त हो। के उपरान्त ही प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा

व्यक्तिसारी श्रीक्यन्ता प्रयक्तिमात्रिण्डासी

सहाय के आंभयन्ता . निर्माण खण्ड स्रो० नि० वि०

वं व

वन क्षेत्राधिकारी पोखड़ा रेज (पोखड़ा) गहराल वन प्रभाग, पोडी

C.5°

प्रभावति क्रांचिकारी

उप प्रभागीय वनाधिकारी गढवाल वन प्रभाग गढवाल वन प्रभाग



श्रीमान प्रभागीम वनाधिकारी गठवाल वन समाण पीडी के प्रमाक 1783/12-1 क्लिंक 8-12 2014 के अनुसार संगलाकी में डगांब तिलाबीली जेमेंडी मोटर मार्ग में निर्माटर नीडिंडि में वास्तिबक कार जाने वाले बहुती का संमुक्त निरिक्षाण के अनुसार जाना सनी सारीया,

र्मि शिभ का नाम	निगरम	द्यास	वृक्षी की है		
गुंडिन्डा नाम खेत	चीडहराखडा	20-30	06		
	Y (1) (1) (1)	MAZE.	09		
ग्राम-सत्त्र राठीहार्	न्दीड ह्याखड़ा	20-30	03		
			05		
ग्राम महर्गाव तल्ला सिंग्विल धीव	न्वीड हरा खब्र	20-30 30-40 40-50	06 04 02		
	साल हराख्य	10-20	31		
			50		
देवगडी कण्स०2. आरक्ति वन क्षेत्र	साल हराखड	1 10-do 20-30 30-4 40-50	01 01		- January - American
अराक्षित चन क्षीम देवगडी क०सं०३	चीड हराख्य	30-40 40-50	07	TEST	digi Tot said denisord
	-	50-6	0 05		
			31		
	सम्पूर्व यो		147 95		a) gomiste

(Hante 1 129)

(Pamzer) or Go

पिटाक में सिट पिट्ट वन क्षेत्राधिकारी पोखड़ा रेंज (पोखड़ा) गढवाल वन प्रभाग, पोडी

वन विभाग, लोक विभाग रिक्शमा राजस्य विभाग वीडी के क्रमेचारियों द्वारा रिकांक - 24-12-2014 की किये गये संपुत्त निराक्षण रियोर्ड के अनुसार पोरगड़ा राजि अन्त्वात सगलाकारी मेडगांव-गिडिवडा- जर्जडी मोटर मार्गिका नप निर्माण के प्रदा) की सूल्यांकन स्ति। योभकानाभ व्यशंकी प्रमात व्यसकी खशोकी 42910 धनराशि CROU! 8121 (1) (4) (5) (7) आर्थित वन्ध्रेत (1) साल हरार्षड। 10-20 3300/5 6600.00 20 देवगड़ी कथ स्माण हरार्वप 20-30 10 46000/9- 820000 3) XIM EXIX451 30-40 01 118800/00 11.88000 स्पर्ण्या - 2 232000/9-2320000 (4) साल हरार्पड़ा 40-50 01 27/53/1745/ 6000/4 3000:00 20-30 05 6) चाड हरा २४५) 30-40 233000 1631000 07 1) 215 52/2951 40-50 14 50700/9. 7090000 50-60 D565:0/9-42025:00 05 शार थित वन यूनि में जभावत हासोका योगः 71 25759500 2: गार्भ महरगादि तल्ला ग्रिसाल हरा रक्ष 10-20 31 3300/90 10,230.00 भायल प्रम श्रम) *HIM BY/ 795/ 4600°0/9, A7, 400'00 20-30 19 20-30 6000/90 3600:00 06 (4) = 115 EX/ 245/ 30-40 2330000 9320:00 04 (द) चाड हरा स्पड़ा 40-50 50700190 10140:00 02 सिद्धिया पन भी में के पा भारत वसो का 21/3/-62 1.20.690.00 गाम गिडिवडी नापस्त ए चीड हरीरम्डा 20-30 06 600'0 190 3600:00 (D) चीडहरा २१३। 30-40 03 23300/94 6990'00 09 - शाम सन्डरामेहार 1102 2000 20-30 03 6000190 1800:00 ध चीड हर १ २१६ 30-40 23300/90 4660:00 02 05 6460'00 में प्रभावित वशका याग्-14 1705000 91 71 2,57.59500 951 62 1,20,690,00 951 14 17050'00 आर्थित सिविल रुष्ट्रं नाप भूमि 147 3,95335'60 42401 2/10/ + 921 alot are

ब्रानीय क्ताशकार्यः ब्रह्मान् वन प्रचाह

भूग्दाय, भिर्म (चित्रम सिंहे जिट) वन क्षेत्राधिकारी

प्रारुप-25

परियोजना का नाम:- वंगलाकोटी-भैंडगांव-गुण्डिडा मो उर मार्ग का तिलखोली-जजेड़ी तक विस्तार।

परियाजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व प्रस्तावित स्थल की

हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य की हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित स्थल की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से हवाई दूरी 🎎.. कि 🗓 है।

वन क्षेत्राधिकारी पोखड़ा रेंज (पोखड़ा) गढवाल वन प्रभाग, पौडी

उप प्रमागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग भनीकाँण

प्रारुप-54

परियोजना का नामः— संगलाकोटी—भेंडगांव—गुण्डिडा मोटर मार्ग का तिलखोली—जजेड़ी तक विस्तार।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

ह0 / प्रभागीय वनाधिकारी

शहायक लिमपत्ता । निर्माण खण्ड मो० नि० धिक ्यम क्षेत्रकारी श्रेस्त्रहा एँच (पोखहा) महत्त्रहा वन प्रभाग, श्रीही

c.91


SALES ENTRAIS

प्रयोक्ता एकंसी प्रयोक्ता एकंसी

उप प्रमागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग भनीमैंग

बार-चार्ट

कार्य का नाम:- संगलाकोटी-भैड़गॉव-गुण्डिडा मोटर मार्ग का तिलखोली-जजेड़ी तक विस्तार।



भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)
16. परियोजना या स्कीम की अवस्थित व्यनपढ़ राडिंग गढ्या के विकास स्केट पारवड़ा के सन्तारी कालिक कि स्वार्थ के विकास स्केट पारवड़ा के सन्तारी कालिक कि स्वार्थ के विकास स्केट पारवड़ा के सन्तारी कालिक कि स्वार्थ के विकास संवर्ध के विकास स्वार्थ के विका (ii) जिला पडि गढिवाल ! (iii) जिला वन प्रमाग शिद्धाल तम प्रभाग घोडी , 17. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थितिः हमार्राहिस्त वन भूमि-0'497 है।

18. जपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौराः 1) दन का प्रकार कार्यित स्मितिल विन पंचामत : (ii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना पाक्रम - 19 के उत्तर स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना पाक्रम - 19 के उत्तर स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना पाक्रम निर्मण का प्रतिकार का निरमण का विकास का निरमण का 19. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी अह के स्थलाकृति अह स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी अह के स्थलाकृति अह स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी अह के स्थलाकृति अह स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी अह के स्थलाकृति अह स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी अह के स्थलाकृति अह स 21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता : (i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा : कि हिस्सान है (ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्मूण जरते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) (iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) (iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा स्र्रेएक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) निही। (v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है त उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें : (i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति (ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। 🕒 24. किए गए अतिकमण के ब्यौरे : (i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां / नहीं) (ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिकमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिकमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित ेतिकमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरूद्ध की गई कार्यवाही (iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं) (i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति जाम - बड़ल्की नेतन के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति जाम - बड़ल्की नेतन के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति। (ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन (iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत

52

भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है।

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : 🗫 4.66.966 · V

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां / नहीं)।

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां / नहीं)।

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्देश्व सिफारिशों अ

MIN. COST C-1000

हस्ताक्षर

भाजमान पांच्ये भाममानीय तहां सहारो

तारीखः

SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF

(for the forest land to be diverted under FCA)
5.1 A proposal has been received by this office from E.E.C.D.P.W.D.Pauri Garned for diversion under FCA-1980) of 1796 ha. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of Sunglakoti bhedgaon to Tilkhot he site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated. 27.02-2015

5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests F= 1.138.Ha.

required for the project.

5.4 Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of:

There is

5.5 xx Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is

located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.

The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

(गोट:- प्रभागीय यनाधिकारी द्वारा यहाँ पर प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति ∕ टिप्पंशी आयश्यक रूप से ऑकित

Recommended in Public interest.

(Signature Place: - Laun.

Date. 27. 2. 2015

N.B.

x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

xx out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC darted 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservator of forests is required.

PART-II

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forest)

State Serial No. of proposal: UK-0291/2015

1. Location of the project/Scheme: Uttarakhand

(i) State / Union Territory: Uttarakhand

(ii) District: Pauri Garhwal

(iii) Forest Division: Garhwal, Pauri

(iv) Area of forest land proposed for diversion (in ha.): 1.796

(v) Category: Road

2. Legal status of forest land proposed for diversion:

S. No.	Division	Forest Land(ha.)	Legal Status
1	Garhwal,Pauri	1.138	Reserved Forest
2	Garhwal,Pauri	0.497	Civil Soyam land
3	Garhwal,Pauri	0.161	Village Forest

Division 1. : Garhwal, Pauri

3. District wise area to be diverted in the division:

S. No.	District	Area(ha.)
1	Pauri Garhwal	1.796

4. Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion:

(ii) Density of vegetation

S. No.	Area(in ha.)	Density	Eco-Class
1	1.796	0.3	Eco 5

S. No.	Scientific Name	Local Name	(31- 60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
1	Sal	sal	51	37	1	1	0
2	Pinus roxburghii	Cheer	0	11	11	16	5

- $5. \ \ \textbf{Working plan prescription for the forest land proposed for diversion: CHIR WORKING CIRCLE}$
- 6. Brief note on vulnerability of the forest area to erosion: Area is not much vulnerble as per geologist's repo
- 7. Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.): 0.0
- 8. Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view:
 - (i). Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion: few wildlife are present.
 - (ii). Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc.: No
 - Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act,1972 (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified,then,10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ): No

Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve,

> elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within 1 Km. from (iv). boundary of the forest land proposed for diversion: No

(v). Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area: No

Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area,

- Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other (i). important monument is located in the area: No
- 10. Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion:
 - Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable (i). and bare minimum for the project: Yes
- 11. Details of violation(s), if any ,committed:
 - Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been (i). carried out: No
- 12. Whether work in violation is still in progres(Yes/No): No Data
- 13. Details of compensatory afforestation scheme:
- (ii). Total Financial Outlay for C.A: 4.67
- Whether the land identified by User Agency is suitable for CA and from managementpoint of view?: Yes (iii).
- (iv). Copy of certificate regarding suitability of land identified for CA and from management point of view:



(v). Copy of detailed CA scheme including species to be planted, implementing agency, time schedule, cost structure etc.:

Additional information Details:

S. No.	Documents	Remarks
	NIL	

14. District Profile:

S.no	District Name	Geographical area of the district (in ha.)	Forest area of the district (in ha.)	Total forest area diverted since 1980 (in ha.)	No. of Approved Cases	Forest Land including penal C.A. (in ha.)	Progress of compensatory afforestation as on(date)	A) Forest land (in ha.)	B) Non- forest land (in ha.)
1	Pauri Garhwal	532900	70161.80	699.0593	190	351.7462	01/05/2015	351.7462	373.420

15. Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer highlighting important facts pertaining to the forest land:

Division Name	Circle	Site inspected By	Whether site inspected	No. of times site visited	Site inspection report	Date of visit
Garhwal,Pauri	Garhwal	DFO	Yes	One	100	27/02/2015

(Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with(Part II,III & Part IV))

16. Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for acceptance or otherwise of the proposal with reason:

	Division	Circle	Recommendation By	Recommendation	Reason	Letter	Whether CF agreed
Ga	rhwal,Pauri	Garhwal	DFO	Recommended	recommended	Mode	

			in public interest.	
Garhwal	CF	Recommended	Road is necessary for providing connectivity to the villagers	Yes

Print page

FORM - A

Form for seeking prior approval of Central Government under section 2 of the Forest(Conservation) Act, 1980 for Diversion of fresh forest area

PART - I

(To be filled up by User Agency)

A. General Details A-1 Project Details (i). Proposal No.: FP/UK/ROAD/10168/2015 (ii). Name of Project for which Forest Land is required: Sanglakoti - Bhedgoun - Gudinda Motor Road upto Tilkholi - Jajedi (iii). Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required: Construction motor road upto Tilkoli - Jajadi Village (iv). State: Uttarakhand (v). Category of the Project: Road (vi). Shape of forest land proposed to be diverted: Linear (vii). Estimated cost of the Project(Rupees in lacs): 191.1 (viii). Total Area of Forest Land proposed for diversion(in ha.): 1.796 (ix). Non-Forest Land required for this project(in ha.): 6.605 (x). Total period for which the forest land is proposed to be diverted(in years): 2015 A-2. Details of User Agency (i). Name: PUBLIC WORK DEPARTMENT (ii). Address1: Construction Division PWD Pauri, Pauri Garhwal

(iv). State: Uttarakhand

(v). District: Pauri Garhwal

(iii). Address2: Construction Division PWD Pauri, Pauri Garhwal

(vi). Pin: 246001

(vii). Landmark: Pauri

(viii). Email address: eepwdcdpauri@gmail.com

(ix). Landline Telephone No.: 222284

(x). Fax No.: 222284

(xi). Mobile No.: 9412348188

(xii). Website (if any): NIL

(xiii). Details of Proposals seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land submitted by the User Agency in the past

	List of proposal submitted in Past											
S.no	Proposal Status.	Proposal No.	Moef File No.	Area Proposed for Diversion(Ha.)	Area Diverted(Ha.)	Date of In- Principle Approval	Date of Final Approval					
	NIL											

(xiv). Legal status of User Agency: State Government

A-3. Details of Person Making Application

(i). First Name: Mahipal

(ii). Middle Name: Singh

(iii). Last Name: Rawat

(iv). Gender: Male

(v). Designation: Executive Engineer

(vi). Address 1: Construction Division PWD Pauri, Pauri Garhwal

(vii). Address 2: Construction Division PWD Pauri, Pauri Garhwal

(viii). State: Uttarakhand

(ix). District: Pauri Garhwal

(x). Tehsil: Pauri

(xi). Pin: 246001

(xii). Landmark: Pauri

(xiii). Email Address: eepwdcdpauri@gmail.com

(xiv). Landline Telephone No.: 222284

(xv). Fax No.: 01368222284

(xvi). Mobile No.: 9412348188

(xvii). Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User

Agency:

B. Details of land required for the Project

B- Details of proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land for the Project already submitted in

1. the past

(i). Whether any proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land required for the project has been submitted in the past?. : No

3-Details of forest land proposed to be diverted

B-2.1 Details of Divisions involved

Details of Divisions involved			
S.no	Division Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Garhwal,Pauri	1.796	6.605

B-2.2 Details of Districts involved

District wise breakup			
S.no District Name Fo		Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Pauri Garhwal	1.796	6.605

B-2.3 Village wise breakup

Villages wise breakup			
S.no	Village	Forest Land(ha.)	Non-Forest

			Land(ha.)
1	Gudinda, Badolgoun	1.796	6.605

B-2.4 Component wise breakup

Component wise breakup			
S.no	Component	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Sanglakoti - Bhedgoun - Gudinda Motor Road upto Ti	1.796	6.605

C. Maps of forest land proposed to be diverted

Division 1.: Garhwal, Pauri

(i). Area of forest land proposed to be diverted(in ha.): 1.796

(ii).: Linear

(b). No. of Segments: One

Segment wise details			
Segments	Segment Area(in ha.)	Kml File of Segments	
1.	1.796	View File	

(iii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted:

(iv). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total

Station:

<u>D.</u> <u>Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined:</u>

- (i). Copy of note containing justification for locating the Project in forest land:
- (ii). Whether a copy of map indicating location of alternative examine is required to be provided: Yes
- (a). Copy of map indicating location of alternative examined:



E. Employment likely to be generated

(i). Whether the Project is likely to generate employment ?: Yes

- (ii). Permanent/Regular Employment(Number of persons): 0
- (iii). Temporary Employment(Number of person-days): 100
- F. Displacement of People due to the Project, if any
 - (i). Whether Project involves displacement?: No
- G. Details of Cost-Benefit analysis for the Project
 - (i). Whether the Project requires Cost-Benefit analysis?: No
- H. Status of Environmental Clearance
 - (i). Whether the Project requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986 ? : No
- I. Status of Wildelife Clearance
 - (i). Whether the Project or a part thereof is located in any Protected Area or their Eco sensitive zone? : No
- J. Applicability of special provisions governing Scheduled Areas
 - (i). Whether the Project or a part thereof is located in a Scheduled Area?: No
- K. Status of settlement of rights under the Forest Rights Act,2006 on the forest land proposed to be diverted
 - (i). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed? : Yes
 - (a). Copy of documentry evidence in support of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted:



- L. Details of land identified for Compensatory Afforestation
 - (i). Whether non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency?: Yes
 - (ii). Whether the area of non-forest land or Revenue forest land required to be provided by User Agency for raising Compensatory Afforestation is less than area of forest land proposed to be diverted?: Yes
 - (a). Provide reasons thereof: Praposd Plantation in Badethgoun

(b). Area of non-forest or Revenue forest land required to be provided by User Agency for raising Compensatory Afforestation: 3.59

(iii). No. of districts involved for raising Compensatory Afforestation: 1

(iv). No. of patches: One

District 1.: Pauri Garhwal

(a). Village: Badeth Goun

(b). Area(in ha.): 3.59

(c). Copy of KML file of the patch:



View File

(d). Khasra details: Vimal Kishor 422,423,424,425 Bhaktdarsan singh 1765,1766 Jhabar singh 1397,1410 Surendra singh 1272,1273,1274,1275,1276 Sankar Singh 1773 Chandra Singh 841,842,843,844 Jeetendra singh 309,310,311,312,

(e). Present owner: User Agency

(f). Copy of Ownership proof:



(v). Scanned copy of the map of the land identified for creation of Compensatory Afforestation prepared by using GPS ot Total Station:



(vi). Copy of Survey of India Toposheet in 1:50,000 scale indicating location of the land identified for creation of Compensatory Afforestation:

Additional information Details

Documents			
S.No	Documents	Remarks	
1	FOF Jacobs	First Page Proposal	
2	FOF	List of Proposal form	
3	POF Mode	Form 2	
4	POS Adaba	Form 3	
5	POS Adaba	Form 4	
6	POF AGOS	Form 5	
7	FOZ AGGGG	Road Partivedn	
8	FOZ AGGGG	Road GO	
9	POF Jacobs	Form 6 GPS Road	

i i	respond rund	
10	Post Control of the C	Form 7 to Form 10 copys
11	POS Accident	Form 11
12	FOZ JAGOS	Form 12
13	FOZ J	Form 13
14	FOZ J	Form 14 to form 17
15	FOZ J	Bar chart
16	FOZ J	Form 18 to 20
17	FOZ JAMES	Form 21 to 25
18	FOZ JAMES	Form 26 to 28
19	FOZ JAMES	Form 29
20	FOZ J	Form 31 to 32
21	FOZ J	Empanelled Geologist
22	FOZ J	Form 34 to 36
23	FOZ Janes	Form 37 to 41
24	FOZ JAMES	Form 42
25	POZ Manas	Form 43
26	POZ Manas	Form 44
27	FOR Judge	Form 45
28	POF J	Form 46
29	FOT James	Form 47
30	POF J	Form 49
31	POF	Other Document

Print page